चला बुलडोजर एंटी-माफिया एक्शन : भेड़ाघाट में गरजा प्रशासन का बुलडोजर

हेलीपैड की जमीन से खदेड़ा गया अवैध कब्जाधारी

80 लाख की 2 एकड़ भूमि कराई कब्जा मुक्त

जबलपुर। सरकारी जमीन पर कुंडली मारकर बैठे भू-माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के सीधे आदेश पर प्रशासनिक अमले ने भारी पुलिस बल के साथ भेड़ाघाट में धावा बोला और पर्यटन विभाग के प्रस्तावित हेलीपैड की 2 एकड़ बेशकीमती जमीन पर हुए अवैध मलबे में तब्दील कर दिया। भेड़ाघाट के खसरा नंबर 81 की लगभग 80 लाख रुपये मूल्य की इस सरकारी जमीन पर गोपालपुर के रसूखदार छोटा यादव ने अवैध साम्राज्य कायम कर रखा था। कब्जाधारी ने न सिर्फ सरकारी जमीन पर पक्का मकान ठोंक दिया था, बल्कि धड़ल्ले से खेती भी कर रहा था। प्रशासन ने पहले आरोपी को कानून के दायरे में घेरते हुए विधिवत सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की और जैसे ही मोहलत खत्म हुई, बुलडोजर चलाकर पूरे अवैध निर्माण को नेस्तनाबूद कर दिया।

अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर अनुराग सिंह ने बताया की अवैध कब्जा हटाने की यह कार्यवाही विधिवत सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करने के बाद की गई है। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर के अनुसार कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हैलीपैड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही के दौरान अतिरिक्त तहसीलदार गोरखपुर ललित ग्वालवंशी, नगर परिषद भेड़ाघाट के मुख्य नगर पालिका अधिकारी विक्रम झरिया तथा संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

1.5 एकड़ की शासकीय भूमि पर चल रही थी डेयरी

डेढ़ एकड़ की भूमि पर संचालित डेयरी पर भी प्रशासनक का बुल्डोजर गरजा। दरअसल भेड़ाघाट में हेलीपेड़ के लिए प्रस्तावित नगर परिषद की लगभग दो एकड़ भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के बाद राजस्व विभाग एवं नगर परिषद भेड़ाघाट के संयुक्त दल द्वारा सोमवार को ही भेड़ाघाट स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 32 के अंश भाग पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की भी कार्रवाई की गई। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर अनुराग सिंह के मुताबिक लगभग डेढ़ एकड़ इस भूमि पर अमीन खान द्वारा अतिक्रमण कर डेयरी का संचालन किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि अतिक्रमित संरचना एवं सामग्री को संयुक्त दल द्वारा हटाकर शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। भूमि मुक्त कराई गई शासकीय भूमि का अनुमानित मूल्य लगभग 60 लाख रूपये है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान अतिरिक्त तहसीलदार गोरखपुर ललित ग्वालवंशी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद भेड़ाघाट विक्रम झरिया, राजस्व निरीक्षक शिवपाल चौधरी एवं संबंधित पटवारी सहित राजस्व एवं नगर परिषद का अमला उपस्थित रहा।

कंस्ट्रक्टिव नॉलेज के आधार पर सजा देना, बिना किसी सबूत के निष्कर्ष निकालने जैसा : हाईकोर्ट

जबलपुर। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने अपने अहम आदेश में कहा है कि कंस्ट्रक्टिव नॉलेज के आधार पर सजा देना, बिना किसी सबूत के निष्कर्ष निकालने जैसा है। एकलपीठ ने अपीलीय अथॉरिटी के आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को दी गयी सजा निरस्त कर दी।

बुरहानपुर फॉरेस्ट डिवीजन में फॉरेस्ट गार्ड के पद पर पदस्थ सत्यनारायण सोनी की तरफ से दायर याचिका में अपीलीय प्राधिकरण चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट खंडवा द्वारा 21 सितम्बर 2006 को सजा से संबंध में जारी आदेश को चुनौती दी गयी थी। आदेश में उसे नौकरी से हटाए जाने की सजा को पांच साल तक न्यूनतम वेतन प्रदान करने में तब्दील कर दिया गया था। याचिका में कहा गया था कि वह 23 सितम्बर 1994 से 30 दिसम्बर 2002 तक बोरी बीट, असीर रेंज में फॉरेस्ट गार्ड के रूप में तैनात था। उसे 30 दिसम्बर 2002 को सस्पेंड कर दिया गया था और 10 फरवरी

2003 को चार्जशीट जारी की गई थी। चार्जशीट में आरोप थे कि उसके कार्यकाल में 1047 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण हुआ था। इसके अलावा बोरी गाँव में सरकारी नियंत्रण वाले वन उत्पाद (सलाई गोंद या गम) को अवैध रूप से इकट्ठा और जमा किया गया था। जिसकी सूचना उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी।

लंबी सेवा से नहीं मिलता स्थाई कर्मी बनने का अधिकार

मप्र हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल लंबे समय तक काम करने से किसी कर्मचारी को स्थाई कर्मी बनने का अधिकार नहीं मिल जाता। जनभागीदारी समिति द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी केवल नियुक्ति के आधार पर राज्य सरकार का नियमित कर्मचारी नहीं बन सकता। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उक्त टिप्पणी करते हुए सीधी के संजय गांधी स्मृति शासकीय महाविद्यालय के 11 कर्मचारियों को स्थाई कर्मी का दर्जा देने संबंधी एकलपीठ का आदेश निरस्त कर दिया। जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने राज्य शासन की रिट अपील स्वीकार करते हुए कहा कि संबंधित कर्मचारियों को सरकारी नीति का लाभ लेने के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि से निरंतर सेवा का विश्वसनीय दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक था। कर्मचारियों ने दावा किया था कि वे 15 वर्ष से अधिक समय से महाविद्यालय में कार्यरत हैं और सामान्य प्रशासन विभाग की सात अक्टूबर 2016 की नीति के तहत स्थाई कर्मचारी का दर्जा पाने के हकदार हैं। एकलपीठ ने उनके पक्ष में आदेश दिया था, जिसे उच्च शिक्षा विभाग ने चुनौती दी। युगलपीठ ने पाया कि कर्मचारी 16 मई 2007 से निरंतर सेवा का ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। रिकार्ड में केवल अक्टूबर 2010 के बाद के लेबर चार्ज बिल उपलब्ध थे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जनभागीदारी समिति को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नियमित पद सृजित करने अथवा सरकारी नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है।

नहीं है वकीलों के लिए कोई कल्याण योजना

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने 35 से 40 वर्षों की वकालत पूरी कर चुके अधिवक्ताओं के लिए व्यापक कल्याणकारी योजना बनाने की मांग से जुड़ी जनहित याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता को महत्वपूर्ण राहत दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने कहा कि एमपी स्टेट बार काउंसिल के चुनाव पूर्ण होने के बाद याचिकाकर्ता इस संबंध में बार काउंसिल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

दरअसल जिला बार एसोसिएशन शहडोल के अध्यक्ष अधिवक्ता राकेश सिंह बघेल द्वारा दायर जनहित याचिका में 35-40 वर्ष की प्रैक्टिस पूरी कर चुके अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजना बनाने की मांग की गई थी। जनहित याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता योगेश सिंह बघेल ने पैरवी की। याचिका में बिहार स्टेट बार काउंसिल एडवोकेट्स कल्याण योजना 2012 का उदाहरण देते हुए मध्य प्रदेश में भी पेंशन और पारिवारिक पेंशन जैसी व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई गई। जनहित याचिका में जूनियर अधिवक्ताओं को पांच वर्षों तक 10 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को 50 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, अधिवक्ता की मृत्यु पर परिवार को 10 लाख रुपये सहायता तथा बार एसोसिएशनों में ई-लाइब्रेरी के लिए आर्थिक मदद की मांग भी शामिल थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद स्टेट बार काउंसिल के समक्ष अभ्यावेदन दिया जा सकता है। यदि उसे अस्वीकार किया जाता है तो जनहित याचिकाकर्ता कानून के अनुसार उसे चुनौती देने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

हडपसर-रीवा एक्सप्रेस 24 को देरी से चलेगी

जबलपुर। पुणे एवं हडपसर स्टेशन यार्ड में तीसरी लाइन के कमीशनिंग से जुड़े प्री-नॉन इंटरलॉकिंग एवं नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते हडपसर-रीवा एक्सप्रेस के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 20151 हडपसर-रीवा एक्सप्रेस 24 सितंबर को अपने निर्धारित समय से 45 मिनट विलंब से रवाना होगी, जबकि 1 अक्टूबर को यह ट्रेन 1 घंटे 45 मिनट की देरी से हडपसर स्टेशन से प्रस्थान करेगी। रेलवे ने यात्रियों से संशोधित समय को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनाने की अपील की है।

अधिवक्ता परिषद चुनाव : 84 प्रत्याशी बाहर, अब मैदान में 7 उम्मीदवार

जबलपुर, नवभारत। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव-2026 की मतगणना में सोमवार को एलिमिनेशन राउंड का 16वां दिन पूरा हुआ। निर्वाचन अधिकारी न्यायमूर्ति एस.के. पालो (पूर्व न्यायाधीश) की ओर से जारी जानकारी के अनुसार एलिमिनेशन राउंड में दो प्रत्याशियों के बाहर होने के साथ अब तक कुल 122 में से 84 प्रत्याशी चुनावी दौड़ से बाहर हो चुके हैं। वहीं प्रत्याशी क्रमांक 89 राकेश सिंह भदौरिया (इंदौर) अपना कोटा पूरा कर चुके हैं, जिसके चलते उन्हें निर्वाचित माना जाएगा। यदि कोई महिला प्रत्याशी मतगणना में चुनाव से बाहर होती है, तो अंतिम पांच महिला प्रत्याशियों की श्रेणी में होने के कारण चुनाव परिणाम के समय आरक्षण के आधार पर उनका चयन किया जाएगा।

कायम है उलटफेर की संभावना

एलिमिनेशन के बाद बाहर हुए प्रत्याशियों के मतपत्रों में दर्ज मतों को निर्वाचन प्रक्रिया के अनुसार द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशियों को स्थानांतरित किया गया है। इसी के साथ मतगणना में अब भी उलटफेर की संभावना बनी हुई है। सोमवार तक बदत प्राप्त करने वाले प्रमुख पुरुष प्रत्याशियों में अखिलेश कुमार सक्सेना (इंदौर), विवेक सिंह (इंदौर), आर.के. सिंह सैनी (जबलपुर), संदीप मेहता (उज्जैन) और नित्यनंद मिश्रा (जबलपुर) शामिल हैं। वहीं महिला प्रत्याशियों में अब केवल अन्नू पटेल (सिंगरौली) और प्रवीण तिवारी (रीवा) चुनाव मैदान में हैं।

एक करोड़ रूपये का बिल बकाया, शहर के 2000 घरों की बत्ती गुल

जबलपुर। शहर में बिजली का बिल दबाकर बैठे डिफॉल्टर्स के खिलाफ विद्युत विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को विभाग ने एक साथ ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए करीब 2000 आदतन बकायादारों के बिजली कनेक्शन काट दिए। इन सभी उपभोक्ताओं पर विभाग का लगभग 1 करोड़ रुपये का बिल बकाया है। कर्मचारियों ने खंभों पर चढ़ने के बजाय सीधे ट्रांसफार्मर से ही उन दोनों फेस का एलटी सर्किट बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि बिल भरने वालों के घरों में बिजली चमकती रही और डिफॉल्टर्स के घरों में पूरी तरह अंधेरा छा गया।

दरअसल शहर में सोमवार को विद्युत विच्छेदन का एक नया तरीका अपनाया गया। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे मोहल्ले, क्षेत्र जहां पर ट्रांसफार्मर से जुड़े बड़ी संख्या में बकायादार होने के कारण उपभोक्ताओं की लाईन काटने में काफी मुश्किलें आती है घटनाएं होती रहती है, परन्तु इन सब से बचने के लिए एवं बकायादारों के कनेक्शन काटने विभाग द्वारा ऐसे ट्रांसफार्मरों को विशेष रूप से चिन्हित कर बिजली के बिल जमा कर चुके उपभोक्ताओं को एक फेस पर शिफ्ट कर बाकी बकायादार उपभोक्ताओं को शेष दो फेस में शिफ्ट कर ट्रांसफार्मर से ही सर्किट बंद कर बड़ी संख्या में विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही की गई। इस तरह के सख्त रुख विभाग को इसलिए अपनाना पड़ा क्योंकि विभाग द्वारा अगर ऐसे लोगों के कनेक्शन काटे भी जा रहे थे, तो उनमें से अधिकतर लोग गैर कानूनी रूप से रात में कनेक्शन जोड़ ले रहे थे। बिजली विभाग की इस अचानक हुई कार्रवाई से शहर के कई संभागों में खलबली मच गई।

यहां हुई कार्रवाई

इस सिलसिले में पूर्व संभाग अंतर्गत गुरन्दी के पास स्थित मछली मार्केट, मदारटेकड़ी के पास स्थित टेड़ीनीम, भरतीपुर चर्च, उत्तर संभाग अंतर्गत मोहनिया स्थित सामुदायिक भवन, विजयनगर संभाग में प्रभात नगर में एक एवं चमन नगर क्षेत्र में दो ट्रांसफार्मर, दक्षिण संभाग में ललपुर के निकट शिवराजपुर क्षेत्र एवं भिटौली का ट्रांसफार्मर, पश्चिम संभाग में उजारपुरवा क्षेत्र में ट्रांसफार्मर सर्किट बंद कर लगभग 2000 आदतन विद्युत बकायादारों की विद्युत आपूर्ति बंद की गई जिन पर लगभग एक करोड़ की बकाया राशि है।

इनका कहना है

सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में ऐसे बकायादारों पर ड्यूज रिकवरी एक्ट की कार्यवाही के तहत कुर्की की कार्यवाही कर बिजली बिलों की बकाया राशि की सख्ती से वसूल की जायेगी।

संजय अरोरा
अधीक्षण अभियंता

जम्मू से किशोरी को किडनैप कर जबलपुर लाया युवक

पुलिस ने कंचनपुर में मारा छापा: आरोपी को दबोचा, पीड़िता दस्तयाब

जबलपुर। जम्मू से किशोरी को किडनैप कर युवक जबलपुर लेकर आ गया और अधारताल थाना अंतर्गत कंचनपुर में पिछले करीब तीन माह से किराए के मकान में रह रहा था। अधारताल पुलिस ने दबिश देकर युवक को हिरासत में ले लिया है साथ ही बालिका को दस्तयाब कर लिया। मामले की सूचना जम्मू पुलिस को दे दी है।

टीआई विपिन ताम्रकार ने बताया कि जम्मू सैनिक कॉलोनी निवासी 17 वर्षीय किशोरी का अजय सिंह 22 वर्षीय ने पिछले करीब तीन माह पहले अपहरण किया था । युवक बालिका को जबलपुर लेकर आ गया था जिसके बाद वह कंचनपुर में किराए के मकान में रह रहा है।

उधर जम्मू पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला कि अरोपी और पीड़िता दोनों जबलपुर में रह रहे है। मामले की सूचना मिलते ही अधारताल पुलिस सक्रिय हुई। जिसके बाद दोनों को पकड़ लिया गया। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि युवक ने बालिका को प्रेम जाल में फंसाया था और इसके बाद वह उसे जबलपुर लेकर आ गया था। उधर परिजनों ने उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने बालिका को दस्तयाब करने के बाद वन स्टाप सेंटर भेज दिया है जबकि अजय सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इसके साथ ही कार्रवाई की सूचना जम्मू पुलिस को दे दी है। बताया जाता है कि जम्मू पुलिस जबलपुर के लिए रवाना हो गई है और आज शहर पहुंचेगी। इसके बाद दोनों को अपने साथ ले जाएगी।

हत्या के मामले में पिता-पुत्र को दस-दस साल की सजा

जबलपुर। पुराने विवाद में युवक के साथ मारपीट कर उसकी मौत के मामले में पाटन न्यायालय ने पिता-पुत्र को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के कारावास और कुल आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश पाटन स्वयं प्रकाश दुबे की अदालत ने यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने ग्राम छपरट, थाना शहपुरा निवासी सोनू चौधरी और उसके पिता महेश चैधरी को हत्या के मामले में उक्त सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 26 मई 2025 की रात करीब 8.45 बजे पुराने विवाद को लेकर देवी प्रसाद चैधरी का महेश चैधरी से विवाद हो गया। आरोप है कि महेश और उसके पुत्र सोनू ने देवी प्रसाद के साथ मारपीट की। इस दौरान सोनू ने लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर वार कर दिया। घायल की बाद में तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट के कारण मृत्यु की पुष्टि हुई। विशेष लोक अभियोजक शैलेन्द्र परस्ते ने मामले में 10 अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया। अभियोजन की ओर से पैरवी के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपी पिता-पुत्र को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

स्वीकृत प्लान से बन रही सड़क में हाईकोर्ट का दखल नहीं

फुटपाथ निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका निरस्त

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने शहडोल नगर पालिका क्षेत्र में सडक के दोनों ओर फुटपाथ निर्माण की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका निरस्त कर दी। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने कहा कि सडक का निर्माण स्वीकृत प्लान और डिजाइन के अनुसार किया जा रहा है, इसलिए इस स्तर पर न्यायालय के हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता।

दरअसल शहडोल की पूर्व पार्षद सोफिया खान ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बुढ़ार चैक से बलपुरवा बस स्टैंड तक सडक का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन पैदल चलने वाले नागरिकों के लिए फुटपाथ का निर्माण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सडक के दोनों ओर फुटपाथ निर्माण के निर्देश देने की मांग की थी। नगर पालिका की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा ने बताया कि सडक निर्माण के संबंध में गजट अधिसूचना जारी हो चुकी है तथा प्रस्तावित चैड़ाई 18 मीटर है। सडक का निर्माण मास्टर प्लान से स्वीकृत डिजाइन के अनुसार किया जा रहा है। अतिरिक्त स्थान उपलब्ध होने पर ही फुटपाथ बनाया जा सकता है। युगलपीठ ने कहा कि निर्माण पूरा होने के बाद उपलब्ध स्थान और अन्य घटकों का आकलन किया जा सकेगा। पर्याप्त स्थान मिलने पर फुटपाथ निर्माण की संभावना रहेगी। इसके साथ ही याचिका निरस्त कर दी गई। नगर पालिका की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा व कौशलेंद्र सिंह ने पैरवी की।

स्पेशल ट्रेन का संचालन 7 तक बढ़ा

जबलपुर। रक्षाबंधन पर्व पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल ने सोगरिया-मथुरा-सोगरिया अनारक्षित सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के संचालन की अवधि बढ़ाकर अब 7 सितंबर तक कर दी है। ट्रेन के संचालन दिवस, ठहराव, समय-सारणी और कोच संरचना पूर्ववत रहेगी। गाड़ी संख्या 02921 सोगरिया-मथुरा प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे सोगरिया से रवाना होकर दोपहर 2:10 बजे मथुरा जंक्शन पहुंचेगी, जबकि 02922 मथुरा-सोगरिया प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे मथुरा से चलकर रात 9:20 बजे सोगरिया पहुंचेगी।

नर्मदा एक्सप्रेस का वेंकटनगर स्टेशन पर ठहराव

जबलपुर। यात्रियों की सुविधा और क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से रेल प्रशासन ने बिलासपुर-इंदौर-बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस को वेंकटनगर स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव देने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 18234/18233 के इस ठहराव की शुरुआत 2 सितंबर से होगी। बिलासपुर से इंदौर जाने वाली 18234 नर्मदा एक्सप्रेस 2 सितंबर से वेंकटनगर स्टेशन पर दो मिनट रुकेगी। ट्रेन यहां दोपहर 1:47 बजे पहुंचेगी और 1:49 बजे रवाना होगी। इससे वेंकटनगर और आसपास के यात्रियों को इंदौर सहित मार्ग के प्रमुख शहरों तक आने-जाने में सुविधा मिलेगी। इसी तरह 18233 इंदौर-बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस का वेंकटनगर स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव 3 सितंबर से प्रभावी होगा। यह ट्रेन वेंकटनगर स्टेशन पर सुबह 11:03 बजे पहुंचेगी और 11:05 बजे प्रस्थान करेगी। रेल प्रशासन ने यात्रियों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।

समीक्षा बैठक 48 घंटे में क्षतिग्रस्त सड़कें होंगी चलने योग्य, 2.54 लाख पौधे लगे, 12 प्रमुख चौराहों पर फाउंटेन लग रहे

शहर को आधुनिक महानगर बनाने किया जा रहा विकसित : महापौर

जबलपुर। शहर के देवतुल्य नागरिकों को दैनिक आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए नगर निगम पूर्णत: प्रतिबद्ध है। गुणवत्ता नियंत्रण और समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए शहर को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक महानगर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह बातें महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने 4 घंटे की मैराथन समीक्षा बैठक में कहीं। उन्होंने कहा किनागरिकों को सुगम आवागमन, सुरक्षित सड़कों और हरित-सुंदर वातावरण देने के लिए नगर निगम ने व्यापक स्तर पर कार्ययोजना लागू कर दी है। जनसुविधाओं, बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और सिटी ब्यूटिफिकेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।महापौर अन्नू ने कहा कि बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सभी प्रमुख एवं आंतरिक सड़कों को आगामी 48 घंटे के भीतर चलने योग्य बनाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

महापौर ने पार्षदों और नगर निगम अध्यक्ष अनुशंसा से जुड़े सभी जनहितैषी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि 11 लाख पौधारोपण महाअभियान प्रगति पर है, अभी तक 2.54 लाख पौधे लगाये जा चुके हैं, डुमना नेचर पार्क, कठौंदा क्षेत्र तथा शहर के सभी क्षेत्रों में तीव्र गति से सघन वृक्षारोपण जारी है। महापौर ने बताया कि शहर के 12 प्रमुख और व्यस्त चैराहों पर आधुनिक व आकर्षक फव्वारे स्थापित किए जा रहे हैं।

ये रहे उपस्थित

बैठक में अपर आयुक्त व्ही.एन. बाजपेयी, अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव, उद्यान अधिकारी मनीष तड़से के साथ सभी कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, संभागीय यंत्री और उपयंत्री आदि उपस्थित रहे।

प्रवेश द्वारों का कराया जा रहा सौंदर्यीकरण

महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि धार्मिक और आवासीय दृष्टि से महत्वपूर्ण गौरीघाट, रांझी एवं सभी क्षतिग्रस्त सड़कों का वर्षा ऋतु समाप्त होते ही 7 दिनों के भीतर उच्च गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रवेश द्वारों का सौंदर्यीकरण शहर की सीमाओं से जुड़ने वाले सभी मुख्य प्रवेश द्वारों पर आकर्षक साज-सज्जा और भव्य लैंडस्केपिंग, उद्यानों का विकास सभी वार्डों में स्थित पार्कों व उद्यानों का उन्नयन, पाथवे निर्माण और प्रकाश व्यवस्था का नवीनीकरण कराया जा रहा है।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57